States that funds released to them during the previous years have been fully utilised.

बालवाड़ियों की संख्या

6737. श्री सत्यनारायण जाटिया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, बालवाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन बालवाड़ियों का संचालन किन संगठनों द्वारा किया जा रहा है और इस के लिये वर्ष 1979–80 और 1980–81 के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1979–80 में भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से विभिन्न संगठनों द्वारा चलाई जा रही बालबाड़ियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) 1979–80 में चार राष्ट्रीय स्तर के समाज कल्याण संगठनों अर्थात् हरिजन सेवक संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद्; भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित अपने एककों/बोर्डों के माध्यम से 1979–80 में 12,350 बाल वाड़ियां चलाई गई । ये 12,350 बालवाड़ियां (1) बागड़ी पोषाहार कार्यक्रम, जो भारत सरकार का गैर-योजना कार्यक्रम है अथवा (2) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अन्य कार्यक्रमों, जिन्हें सरकार से अनुदान मिलते हैं तथा जिन में बालबाड़ी एक अंग है, के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करती है । इन राष्ट्रीय स्तर के चार समाज कल्याण संगठनों को बालबाडी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979–80 में दिए गए अनुदान नीचे दर्शाए गए हैं।

क्रम सं०	संगठन	राशि (रुपए लाख की राशियों में)
1	2	3
1.	हरिजन सेवक संघ	12.30
2.	भारतीय बाल कल्याण परिषद	24.14
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	10.53
4.	केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड	103.00
	जोड़	149.97

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के मिले जुले कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष बालबाड़ियों के सम्बन्ध में बालवाड़ियों को सीधे दिए अनुदानों की वास्तविक राशि का अनुदान लगाना सम्भव नहीं है । अनुदान पाने वाली विभिन्न संस्थाओं को 205.51 लाख रुपए की कुल राशि वितरित की गई ।

1980–81 में राष्ट्रीय स्तर का एक पांचवां समाज कल्याण संगठन भी सरकारी अनुदान के साथ बालवाड़ियां चलाएगा । इस संगठन का नाम कस्तूर्बा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर है । 1980–81 के लिए बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट व्यवस्था तथा अब तक रिहा की गई धनराशियां नीचे दर्शाई गई हैं :–

	संगठन	प्रस्तावित बजट 1980-81	अब तक रिहा की गई धन राशि (रु० लाख की राशियों में)
1.	हरिजन सेवक संघ	12.36	4.12
2.	भारतीय बाल कल्याण परिष . .	32.80	10.93
3.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ . .	13.96	4.36
4.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . . .	107.65	34.45
5.	कस्तूर्बा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इंदौर .	8.23	—
	जोड़ :	175.00	53.86

आशा है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1980-81 में मिले जुले कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष के बराबर ही अनुदान वितरित किए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	बालबाड़ियों की संख्या तथा अनुदान देने वाले संगठनों के नाम				
		हरिजन सेवक संघ	भारतीय बाल कल्याण परिषद्	भारतीय आदिम-जाति-सेवक संघ	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	10	174	17	245	446
2.	असम	10	3	23	486	522
3.	पश्चिम बंगाल . . .	28	97	9	629	763
4.	बिहार	13	1	23	398	435
5.	दिल्ली	20	1	9	226	256
6.	गुजरात . . .	46	—	24	2128	2198
7.	हिमाचल प्रदेश . . .	14	—	14	108	136
8.	जम्मु और काश्मीर . .	11	—	1	99	111

1	2	3	4	5	6	7
9.	कर्नाटक . . .	10	11	3	733	757
10.	केरल	12	59	4	346	421
11.	मध्य प्रदेश . . .	24	111	35	479	649
12.	महाराष्ट्र . . .	31	6	42	1937	2016
13.	उड़ीसा . . .	9	—	42	514	565
14.	हरियाणा . . .	10	116	1	42	269
15.	राजस्थान . . .	15	—	7	561	583
16.	तमिलनाडु . . .	15	15	1	370	401
17.	त्रिपुरा . . .	13	19	7	26	165
18.	उत्तर प्रदेश . . .	30	79	61	480	655
19.	चन्डीगढ़ . . .	—	12	—	6	28
20.	मनीपुर . . .	—	74	5	83	162
21.	पंजाब . . .	10	23	—	282	315
22.	पांडिचेरी . . .	—	2	—	18	20
23.	अरुणाचल प्रदेश . . .	—	—	3	85	88
24.	नागालड . . .	—	—	7	50	57
25.	मेघालय . . .	—	—	—	155	155
26.	गोआ, दमन और द्वीव . .	—	—	—	110	110
27.	मिजोरम . . .	–	—	—	75	75
28.	लक्ष्यद्वीप . . .	—	—	—	15	15
29.	सिक्किम . . .	—	—	—	12	12
30.	अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह .	—	—	—	65	65
		331	803	338	10878	12350

समाज कल्याण कार्यों के लिय स्वच्छिक संगठन

6738. **श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामाजिक कल्याण का र्यों के क्षेत्र में कार्यरत उन प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें उन के विभाग द्वारा मान्यता दे दी गई है;

(ख) ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने की शर्तें क्या हैं और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित संगठनों को मान्यता कब दी गई हैं ;

(ग) इन मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को पिछले वर्ष संगठन-वार अनुदान की कितनी-कितनी राशियां दी गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि इन स्वच्छिक संगठनों